



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 24.07.2024

**थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं- 127/24 धारा- 305 बीएनएस में
वांछित 02 अभियुक्तगण को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं- 127/24 धारा- 305 बीएनएस मे वांछित 02 नफर अभियुक्तगण 1. सुमित पुत्र रामजीत 2. शीलू पुत्र अनंगपाल को दिनांक- 24.07.2024 को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.सुमित पुत्र रामजीत निवासी नगला तरा थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
- 2.शीलू पुत्र अनंगपाल निवासी नगला दुर्ज थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण :- दिनांक 15.07.24 की रात को प्राइमरी स्कूल मधवापुर में चोरी की घटना के सम्बन्ध में वादी मो० अरशद खान (प्रधानाचार्य) द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०- 127/24 धारा 305 बीएनएस थाना जहानगंज पर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 24.07.2024 को चेकिंग के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण को बंदरखेडा से आने वाले रास्ते से मैदाश्याम पुर चौराहे के पास से 01 अदद एलईडी टीवी, 01 अदद रिमोट, 01 अदद बोरा गैहूं, 01 अदद बोरा चावल व 01 अदद मोटर साइकिल (बजाज पल्सर) सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी के आधार पर धारा 35 BNSS व 317(2) BNS तरमीम किया गया है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनो ने यह सामान प्राइमरी स्कूल मधवापुर से दिनांक 15.07.24 की रात को चुराया था। आज हम दोनो गेहूं, चावल तथा LED टीबी को बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से पूछा तो दोनो ने बताया कि साहब हम दोनों ने यह मोटर साइकिल इसी साल जनवरी के महीने में राजकीय वालिका इण्टर कालेज थाना फतेहगढ़ से चुराई थी। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में को० फतेहगढ़ में जानकारी की गई तो पाया की मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 20/24 धारा 379 भादवि वादी मुकदमा रजनेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बलिपुर याकूतगंज थाना को० फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद द्वारा पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद एलईडी टीवी (22 इंच)
2. 01 अदद रिमोट (टीवी)
3. 01 अदद बोरा गैहूं
4. 01 अदद बोरा चावल
5. 01 अदद मोटर साइकिल 125 सीसी रंग काला (बजाज पल्सर) रजिस्ट्रेशन नं० UP76 AN 2019

अभियुक्तगण सुमित एवं शीलू का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० - 127/24 धारा- 305/35 BNSS व 317(2) बीएनएस थाना जहानगंज।
2. मु०अ०सं० 20/24 धारा 379 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ०नि० श्री रामबाबू,
3. उ०नि० श्री स्वदेश कुमार
4. का० कुलदीप
5. का० मजीत

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कुर्की थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 24.07.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 198/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व अपने सह सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं व अपने परिजनों के नाम अवैध चल-अचल सम्पत्ति कीमत करीब “सोलह करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार चार सौ सत्तानवें रुपये इकसठ पैसे” को धारा 14(1) गैग्रेस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाजविरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्त 1. देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव(गैंगलीडर) पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको रोड कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सह-अभियुक्त भाई 2.योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा अवैध रूप से अर्जित स्वयं एवं स्वयं के परिवारिजनो के नाम पंजीकृत अवैध अचल सम्पत्ति कीमत करीब 16,19,48,645/- रुपये (सोलह करोड़ उन्नीस लाख अड़तालिस हजार छः सौ पैन्तालिस रुपये) व चल सम्पत्ति बैंक खाते (कुल 44 खातें) में जमा धनराशि कुल 16,60,852.61 (सोलह लाख साठ हजार आठ सौ बावन रुपये इकसठ पैसे) श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश सं0- 26/2024 दिनांकित 19.07.2024 के द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैग्रेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा श्री अमित

गंगवार व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीगेट श्री अवध नरायण पाण्डेय मय हमराह पुलिस फोर्स आज दिनांक 24.07.2024 उपरोक्त चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।



अभियुक्त/गैंगलीडर देवेन्द्र उर्फ जग्गू यादव की कुर्क करायी गयी सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	भू/भवन स्वामी का नाम पता	भू / मकान विक्रेता का नाम पता व उस समय सम्पत्ति की सरकारी कीमत	गाटा सं० व स्थित भूमि	क्षे० (वर्ग मीटर)	वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन
1.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं० 50 ए लोको रोड कालोनी कोत० फतेहगढ़	श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र कमल सिंह नि० सिविल लाइन फतेहगढ़	आवासीय प्लॉट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 11870/12 दिनांक 27.12.12	150.47 वर्ग मीटर	42,00,000
2.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं० 50 ए लोको रोड कालोनी कोत० फतेहगढ़	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी उदय प्रताप सिंह नि० सिविल लाइन फतेहगढ़	व्यावसायिक प्लॉट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 11869/12 दिनांक 27.12.12	86.49 वर्ग मीटर	24,00,000
3.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं० 50 ए लोको रोड कालोनी कोत० फतेहगढ़	श्रीमती बसन्ती पत्नी गंगाचरन निवासी तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लॉट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 11646/12 दिनांक 20.12.12	80.91 वर्ग मीटर	28,31,850
4.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं० 50 ए लोको रोड कालोनी कोत० फतेहगढ़	श्रीमती पुष्पा वर्मा पुत्री हरीशंकर नि० तालग्राम छिबरामऊ कन्नौज	आवासीय प्लॉट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 11156/12 दिनांक 03.12.12	206.32 वर्ग मीटर	66,02,240

5.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्री राजेश बाबू पुत्र गंगाचरन नि0 तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 10372/12 दिनांक 05.11.12	111.6 वर्ग मीटर	42,10,500
6.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्री राजेश बाबू पुत्र गंगाचरन नि0 तालग्राम कन्नौज	व्यावसायिक प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 10371/12 दिनांक 05.11.12	110.67 वर्ग मीटर	42,05,460
7.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्रीमती पुष्पा वर्मा पत्नी हरीशंकर नि0 तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 9388/12 दिनांक 28.09.12	121.36 वर्ग मीटर	36,40,800
8.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्रीमती पुष्पा वर्मा पत्नी हरीशंकर नि0 तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 9091/12 दिनांक 19.09.12	121.36 वर्ग मीटर	36,40,800
9.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्रीमती पुष्पा पत्नी रमेश चन्द्र नि0 तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 7152/12 दिनांक 09.07.12	121.36 वर्ग मीटर	36,40,800
10.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्री राजेश पुत्र गंगाचरन निवासी तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 5938/12 दिनांक 11.06.12	161.82 वर्ग मीटर	48,54,600
11.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्रीमती पुष्पा पत्नी रमेश चन्द्र नि0 तालग्राम कन्नौज	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 5332/12 दिनांक 26.05.12	0.0607 हेक्टेयर	33,38,500
12.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए	1. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी उदय प्रताप सिंह नि0 सिविल लाइन फतेहगढ़, 2- श्रीमती गुडडी देवी	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या	84.57 वर्ग मीटर	40,13,000

27.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्रीमती रीता पत्नी सुभाष चन्द्र नि0 लोहाई रोड फर्रू0	आवासीय प्लाट स्थित बाग लकूला लेखपत्र संख्या 5238/21 दिनांक 12.04.21	182.25 वर्ग मीटर	51,03,000
28.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	आयशा बेगम पत्नी इन्सान अली उर्फ कढ़ेर निवासी ग्राम पपिहापुर जनपद फर्रू0	कृषि भूमि स्थित ग्राम पपिहापुर खसरा नं0 1125 व 1126 लेखपत्र सं0 14137/2018 दिनांक 29.11.2018	0.0440 हेक्टेयर	45,00,000
उपरोक्त सूची में अंकित अचल सम्पत्ति का कुल योग			16,19,48,645/- रुपये (सोलह करोड़ उन्नीस लाख अड़तालिस हजार छः सौ पैन्तालिस रुपये)		

तथा उपरोक्त अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त गैंग लीडर व उसके परिवारीजनों की (चल सम्पत्ति) बैंक खाते (कुल 44 खातें) में जमा धनराशि कुल 16,60,852.61 (सोलह लाख साठ हजार आठ सौ बावन रुपये इकसठ पैसे) रुपयों को फ्रीज कराया गया है ।

ज्ञांतव्य हो कि गैंगेस्ट्रों व माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित गैंगलीडर अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके सहयोगी भाई अभि0 योगेन्द्र उर्फ चन्नू यादव के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल –अचल सम्पत्ति जो कि अपने व अपने परिजनों के नाम अंकित है की जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत कुल कीमत 16,36,09,497.61 (सोलह करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार चार सौ सत्तानवें रुपये इकसठ पैसे) है को आज थाना मऊदरवाजा पुलिस बल द्वारा थाना कादरीगेट पुलिस बल के साथ मिलकर कुर्की की कार्यवाही की गयी व सूची में अंकित भूखण्डो पर नोटिस बोर्ड लगवाये गये हैं । उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तो की और सम्पत्तियों का पता 41(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु लगाया जा रहा है, शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्स:

1. प्र0 नि0 श्री अमित गंगवार थाना मऊदरवाजा मय हमराह पुलिस बल
2. प्र0नि0 श्री अवध नारायण पाण्डेय थाना कादरीगेट मय हमराह पुलिस बल

मीडिया सेल फतेहगढ़

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

को० फर्रुखाबाद

दि०- 24.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त इम्मन पुत्र हेतराम निवासी अकेदश पुरवा थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज मु०अ०सं०- 966/1999 वाद स०- 109/2024 धारा- 364,147,148,149,323 IPC थाना को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.07.2024 को मा० न्यायालय A D J- 01 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त जुर्म स्वीकार कर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्रीमती दीपिका कटियार



कोर्ट मोहर्नर हे०का० कमल सिंह



पैरोकार का० तुलाराम







Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना जहानगंज

दि०- 24.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 01 राकेश पुत्र रन्नीलाल निवासी विजयी नगला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ 02 परसादी उर्फ गंगा प्रसाद पुत्र राधेश्याम निवासी विजयी नगला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 484/2005 वाद स०-143/2006 धारा- 323/34,304/34,504,506 IPC थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.07.2024 को मा० न्यायालय ADJ- 05 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कारावास व 50-50 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर हे०का० ओमकार सिंह



पैरोकार का० राहुल कुमार